

प्रेषक:-

भूमि अर्जन अधिकारी,
शहरी सम्पदा हरि0, गुडगांव ।

सेवा में सत्यनारायण पुत्र श्रीरसिंह व श्रीमती राजवंती पत्नी सत्यनारायण
गांव पवाला खड्डापुर जिला व तहसील गुडगांव

यादि कमांक भू0अ0अ0(गु0)-2014

दि/ 29/4/15

विषय:- माननीय कोर्ट द्वारा बढ़ाये गये मुआवजा की राशि का प्रमाण पत्र देने बारे ।

उक्त विषय पर कथन हैं कि आपकी जमीन अवार्ड नः 54 दिनांक 5-11-09
ग्राम पवाला खड्डापुर गुडगांव के लिए अर्जित की गई थी जिसमें
माननीय कोर्ट द्वारा दिनांक 28-5-13 को मुआवजा बढ़ाकर 1,43,75.75/- रुपये
प्रति एकड़ कर दिया गया था । माननीय कोर्ट द्वारा बढ़ाई गई मुआवजा की राशि आपके
खाते में निम्न प्रकार से जमा कर दी गई हैं ।

एल0ए0सी0 प्रार्थी का नाम ग्राम चैक नः/दिनांक जमा कराई गई राशि
नः

210/12 सत्यनारायण पुत्र पवाला खड्डापुर 725829 1,05,22,854/- एक करोड़ पांच लाख
श्रीरसिंह 04-10-04-15 कोर्ट द्वारा बढ़ाई
राशि का प्रमाण

100 Smt राजवंती पत्नी 725830 89,588/- जिला द्वारा पांच लाख
सत्य नारायण 04-10-04-15 कोर्ट द्वारा बढ़ाई
राशि का प्रमाण

आपको सूचनार्थ प्रेषित हैं ।
कुल राशि = 1,05,22,854
6786565
शेष = 37,36,289
भूमि अर्जन अधिकारी,
शहरी सम्पदा हरि0, गुडगांव ।
सत्यनारायण पुत्र श्रीरसिंह व श्रीमती राजवंती पत्नी
पवाला खड्डापुर जिला व तहसील गुडगांव



पत्र	मूल्य	स्टाम्प	एस आर	शब्द
=====	=====	=====	=====	=====
बयनामा	67,86,565/-	माफ	निल	450

रकबा 6 कनाल 7 मरला

मौजा फतेहपुर

हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण होने के कारण स्टाम्प माफ है।

मैं हवासिंह पुत्र श्री सूरतसिंह पुत्र श्री बादाम निवासी फतेहपुर तह0 तावडू जिला मेवात का हूं। जो कि मैं बरुवे जमाबन्दी 2010-11 अराजी जरई खेवट/खाता नं0 106/136 मु0 न0 33 कीला न0 19/2(5-7), 22(8-0), 23/2(0-13), व मु0 नं0 38 कीला नं0 2/2(6-18), 3(8-0), 8(8-0), 9(8-0), 12/2(2-13), 13/1(3-11) किता नो रकबा 51 कनाल 2 मरला का 1/8 भाग रकबा 6 कनाल 7 मरला ग्राम फतेहपुर तह0 तावडू का मालिक व काबिज हूं। जिस पर रहन - आड रहन व अन्य किसी भी वित्तीय संस्था वगैरा का कोई भार नहीं है। अराजी मजकूर की बाबत किसी के साथ कोई सौदा बय इकरारनामा रसीद वगैरा नहीं किये हुये है। अराजी मजकूर किसी भी अदालत के हुकम से किसी भी बैंक - वित्तीय संस्था व अन्य किसी भी विभाग में जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क, एक्वायर शुदा नहीं है। अराजी मजकूर किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी को मु0 आम बनाया हुआ है। अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मुझे अन्य अराजी वगैरा खरीदने के लिये धन की जरूरत है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता, सहित मु0 67,86,565/-रूपये (सडसठ लाख छियासी हजार पांच सौ पैंसठ रूपये) में सत्यनारायण जांघू पुत्र श्री मीरसिंह जांघू निवासी ई 2364, अंसल पालम विहार, गुडगावां तह0 व जिला गुडगांवा को बय व कतई फरोख्त करता हूं। कब्जा अराजी मुबईया पर क्रेता का मौके पर

हवासिंह

डीड संबंधी विवरण		
डीड का नाम PURCHASE FROM COMPENSATION		
तहसील/सब-तहसील तावडु	गांव/शहर फतेहपुर	स्थित फतेहपुर
भवन का विवरण		
भूमि का विवरण		
चाही	6 Kanal 7 Marla	
धन संबंधी विवरण		
राशि 6,786,565.00 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 0.00 रुपये	
स्टाम्प न.	स्टाम्प की राशि 0.00 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 0.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये	

Drafted By: के आर अमन वकील

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 21/04/2016 दिन गुरुवार समय 2:07:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी हाबसिह thru पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सुरत सिंह निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता



उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामिण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अन्तर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामिण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ती प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक



उप / संयुक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

श्री हाबसिह

उपरोक्त विक्रेता व श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जाधू क्रेता हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0.00 रुपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया।

दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी कमल सिंह नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी गोगजाका व श्री/श्रीमती/कुमारी तेज सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी भूप सिंह निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी न:2 की पहचान करता है।

दिनांक 21/04/2016

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप / संयुक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

करा दिया है। सर्व बयधन मे से मु0 3,50,000/- रुपये नकद व मु0 7,00,000/-रुपये (सात लाख रुपये) बजरिये चैक नं0 003530 दिनांक: 04.01.2016 व मु0 10,00,000/- रुपये बजरिये चैक नं0 003543 दिनांक: 22.03.2015 इलाहाबाद बैंक पालम विहार गुडगावां मैं क्रेता से पहले प्राप्त कर चुका हूं व शेष बयधन मु0 20,00,000/- रुपये बजरिये चैक नं0 003526 व मु0 नं0 20,00,000/- रुपये बजरिये चैक नं0 003545 दिनांक: 21.04.2016 इलाहाबाद बैंक पालम विहार गुडगावां व मु0 7,36,565/- रुपये नकद मैं क्रेता से प्राप्त कर चुका हूं। मेरी कोई राशि उपरोक्त अराजी की बाबत क्रेता के जिम्मे बकाया नहीं रही है। अब मेरा व मेरे वारसान का अराजी मुबईया से कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। क्रेता को अराजी मुबईया का अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक कामिल व काबिज बना दिया है। अगर इस बय में कोई बाधा पड़ेगी या मेरी मलकियत की कमी के कारण अराजी मुबईया का कब्जा क्रेता से निकल जावेगा तो उस सूरत में, मैं व मेरे वारसान व मेरी अन्य सम्पति क्रेता की हानि - हर्जा - खर्चा के अदा करने के जिम्मेवार रहेंगे। लागत फीस आदि क्रेता ने की है। अतः यह बयनामा लिख दिया हूँ कि सनद रहे। तारीख : 21.04.2016

Drafted By
K.R. Aman Advocate
Distt. Mewat

ह0 विक्रेता : हवासिंह

ह0 क्रेता सत्यनारायण जांघू

हवासिंह

Sankh

गवाह 1

Kant
गवाह 1
गवाह 1 (क्रेता)

गवाह 2 तेजसिंह पुत्र भूपसिंह नि0 फतेहपुर

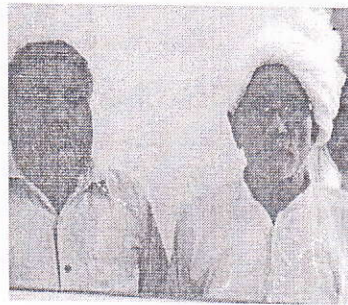
तेजसिंह



विप्रेता



क्रेता



गवाह



उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी

विप्रेता			
क्रेता	सत्यनारायण जाधू		
गवाह	कमल सिंह नम्बरदार		
गवाह	तेज सिंह		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 83 आज दिनांक 21/04/2016 को बही न: 1 जिल्द न: 1,223 के पृष्ठ न: 22 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,225 के पृष्ठ सख्या 25 से 27 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 21/04/2016

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु